सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03 / 121 / 2024 ऑनलाईन नम्बरः–2024 / 640 प्रवेश तिथि– 03 / 12 / 2024

1. जयनारायण पुत्र केवल सिंह जाति नट आयु 51 वर्ष निवासी नरवास तहसील टहला जिला अलवर।

............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय अलवर राज0
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर

...............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री रमाकान्त शर्मा एड0 प्रार्थी
2. तहसीलदार टहला –अप्रार्थी

–:निर्णयः–

दिनांकः–13 / 10 / 2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 04 आराजी खसरा नम्बर 105 / 0.14, 108 / 0.12, 115 / 0.13, 180 / 0.07, 181 / 249 / 0.03 कुल किता 5 कुल रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम नरवास तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। तथा उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है। राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थीगण का नाम **जयनारायण** जगह सहवन से **कन्धू** दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी के नाम अन्य रिकार्ड में **जयनारायण** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम **जयनारायण पुत्र केवल** दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1955 दिनांक 28.08.2025 से मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम नरवास तहसील टहला खाता संख्या 04 में **कन्धू पुत्र केवल** देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से साबित है कि **कन्धू पुत्र केवल व जयनारायण पुत्र केवल एक ही व्यक्ति है।** जिसका सही **नाम जयनारायण पुत्र केवल** होना बताया गया।

3. बहस स्वयं प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 04 आराजी खसरा नम्बर 105 / 0.14, 108 / 0.12, 115 / 0.13, 180 / 0.07, 181 / 249 / 0.03 कुल किता 5 कुल रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम नरवास तहसील

जयनारायण बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 121 / 2024
निर्णय दिनांक 13 / 10 / 2025

टहला जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जयनारायण पुत्र केवल की जगह सहवन से **कन्धू पुत्र केवल** दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तहसीलदार टहला जिला अलवर की रिपोर्ट दिनांक 28.08.2025, व पत्रावल पर उपलब्ध दस्तावेजों आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 04 आराजी खसरा नम्बर 105 / 0.14, 108 / 0.12, 115 / 0.13, 180 / 0.07, 181 / 249 / 0.03 कुल किता 5 कुल रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम नरवास तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम कन्धू पुत्र केवल दर्ज है। उसके स्थान पर जयनारायण उर्फ कन्धू पुत्र केवल दुरुस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13 / 10 / 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

राजगढ़, जिला - अलवर (राज.)
सत्यमेव जयते